भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4630

21 अगस्त, 2025 को उत्तर दिये जाने के लिए

सीपीडब्ल्यूडी निविदाओं में मध्यस्थता और मूल्य वृद्धि खंड

†4630. श्री अनुराग सिंह ठाकुरः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार द्वारा जारी निविदाओं में सीपीडब्ल्यूडी द्वारा मूल्य वृद्धि/परिवर्तन संबंधी खंडों को हटाया जा रहा है या उन पर सीमा लगाई जा रही है और इस प्रकार के लोप के कारणों के संबंध में कोई अध्ययन किया गया है और यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार अपने सभी निविदा दस्तावेजों में मध्यस्थता अधिनियम के अनुसार एकरूप मध्यस्थता खंड शामिल करती है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
(ग) क्या सरकार समयबद्ध तरीके से संविदात्मक विवाद समाधान में तेजी लाने के लिए निविदा दस्तावेजों में मध्यस्थता सुनिश्चित करने हेतु कोई उपाय करने की योजना बना रही है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) 2023-2025 के दौरान सीपीडब्ल्यूडी द्वारा पूरे किए गए कार्यों के लिए बीजक प्रस्तुत करने और भुगतान जारी करने के बीच की औसत अवधि का ब्यौरा क्या है;
(ङ) क्या सरकार ने बैंकों के दंड ब्याज प्रावधान के समान ठेकेदारों को विलंबित भुगतान के लिए ब्याज दंड निर्धारित करने पर विचार किया है और यदि हाँ, तो ठेकेदारों की कार्यशील पूंजी की सुरक्षा के लिए प्रस्तावित ब्याज दर और कार्यान्वयन तंत्र क्या है; और
(च) संविदा प्राधिकारियों और निजी बोलीदाताओं दोनों के अधिकारों और दायित्वों में संतुलन स्थापित करने के लिए सरकार की खरीद नीतियों को सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप बनाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने हैं?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क): जी नहीं।

(ख): जी हां, समान माध्यस्थम खंड, सीपीडब्ल्यूडी के मानक निविदा दस्तावेज़ अर्थात अनुबंध की सामान्य शर्तों (जीसीसी) का एक हिस्सा है। जीसीसी के 'सुलह और माध्यस्थम द्वारा विवादों के निपटान' संबंधी खंड 25 के अनुसार, माध्यस्थम और सुलह अधिनियम, 1996 के अनुसार मध्यस्थता की जाती है।

(ग): जी हां, सीपीडब्ल्यूडी के जीसीसी के खंड-25 के अनुसार, माध्यस्थम और सुलह अधिनियम 1996 के प्रावधानों के अनुसार मध्यस्थता की जाती है। अधिनियम के अनुसार, मध्यस्थ न्यायाधिकरण दलीलों के पूरा होने की तारीख से बारह महीने की अवधि के भीतर निर्णय प्रकाशित करेगा।

(घ): सीपीडब्ल्यूडी ठेकेदारों से सभी प्रासंगिक दस्तावेजों के साथ बिल प्राप्त होने पर, मापन इकाइयों और दरों के विश्लेषण तथा निधि की उपलब्धता के अनुसार जीसीसी में दिए गए प्रावधान और समय-सीमा के अनुसार बिलों का निपटान करता है। हालाँकि, सीपीडब्ल्यूडी द्वारा ऐसी कोई जानकारी नहीं रखी जाती है।

(ड.): जी हां, जीसीसी में निम्नलिखित प्रावधान पहले से ही निर्धारित है:

चालू बिलों के लिए: सीपीडब्ल्यूडी के अनुबंध की सामान्य शर्तों (जीसीसी) के खंड 7 के अनुसार, ठेकेदार द्वारा बिल प्रस्तुत करने के 45 दिनों के बाद मध्यवर्ती बिलों के भुगतान में देरी के मामले में, निर्धारित समय सीमा की अंतिम तिथि से ठेकेदार को 5% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज देय होगा।

अंतिम बिलों के लिए: जीसीसी के खंड 9 के अनुसार, यदि ठेकेदार द्वारा कार्य पूरा होने के तीन महीने के भीतर या अंतिम समापन प्रमाण पत्र की तारीख से एक महीने के भीतर, जो भी पहले हो, अंतिम बिल प्रस्तुत किया जाता है और भुगतान के लिए 3 महीने की निर्धारित समय सीमा के बाद विभाग द्वारा ठेकेदार को अंतिम बिल का भुगतान किया जाता है, तो ठेकेदार को निर्धारित समय सीमा की अंतिम तिथि से 5% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज का भुगतान किया जाता है, बशर्ते कि ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत अंतिम बिल सही पाया गया हो।

(च): जीसीसी में सीपीडब्ल्यूडी की खरीद नीतियां और सीपीडब्ल्यूडी कार्य नियमावली दोनों (अनुबंध प्राधिकारियों और निजी बोलीदाताओं) के अधिकारों और दायित्वों को संतुलित करने के लिए सर्वोत्तम पद्धतियों के साथ संरेखित हैं, हालांकि, विभिन्न मंत्रालयों/हितधारकों से प्राप्त परामर्शों के आधार पर नीतियों में सुधार/संशोधन नियमित रूप से किए जाते हैं।

*****